–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 49/2022

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल
2. ज्वाला प्रसाद पुत्र रतनलाल जाति मोची निवासी मोची बाजार, नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल
2. रामेश्वरी पत्नी सपंतलाल
3. अमरचन्द पुत्र सपंतलाल
4. गणपत पुत्र बृजलाल समस्त जाति मोची निवासी मोची बाजार, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

–– अप्रार्थीगण :– 3 व 4 जरिये अधिवक्ता श्री नवाब कुरेशी
1 व 2 अनुपस्थित, 5 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :–20.12.22

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कि ग्राम व प0 म0 देराठू तहसील नसीराबाद में स्थित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की क्रयशुदा खातेदारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है : –

वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
19	0.17	19	0.17

आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की क्रयशुदा है जिसका आम सहमती से विभाजन दिनांक 26.06.1996 को किया गया तत्कालीन राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 543 दिनांक 26.06.1996 व 24.06.1994 [illegible] अभिलेख में अमल दरामद भी किया गया। उक्त सहमती विभाजन पत्र के पृष्ठ [illegible] पर "प्लाट नम्बर 19 अ राकेश कुमार, 19 बी सपंतलाल, 19 सी ज्वाला प्रसाद, 19 [illegible] कुमार व 19 ई ब्रजलाल को दिया गया" जिस अनुसार उभयपक्ष मौके पर काबिज [illegible] हाल राजस्व अभिलेख में बदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से हाल खसरा नम्बर 19/7838 से 19/7842 की [illegible] तरमीम कर दी है। जिस कारण प्रार्थीगण के भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा कारित [illegible] है।

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:50:26 IST
Reason: SelfAttested

मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 19/7840 पर ज्वाला पुत्र रतनलाल, 19/7841 पर राजेन्द्र पुत्र किशनलाल, 19/7838 पर राकेश पुत्र बाबूलाल, 19/7839 पर अमरचन्द व राजेश्वरी तथा 19/7842 पर गणपत पुत्र बृजलाल काबिज है। जमाबंदी में उक्त आराजी का रकबा सही है किन्तु मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है। अतः राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 का नाम सहवन से गलत अंकित हो गया है जबकि उसका सही नाम गणपतलाल पुत्र बृजलाल है जिसे संशोधन करने के आदेश पारित करावे। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधन के आदेश किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने प्रार्थीगण के साथ उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा निवेदन किया कि उभयपक्ष पारिवारिक सदस्य है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन सहमती से किया गया जिसके अनुसार प्लाट नम्बर 19 अ राकेश कुमार, 19 बी सपंतलाल, 19 सी ज्वाला प्रसाद, 19 डी राजेन्द्र कुमार व 19 ई ब्रजलाल को देना तय हुआ। विभाजन में मौके व दिशाओ की स्थिति भी सहमती पत्र में अंकित है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में गलत तरमीम कर दी है। अतः राजीनामें के अनुसार राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 19 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 19/7838 रकबा 0.0170 अप्रार्थी संख्या 1 को, तत्पश्चात खसरा नम्बर 19/7839 रकबा 0.0170 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तत्पश्चात 19/7840 रकबा 0.0340 प्रार्थी संख्या 2 को खसरा नम्बर 19/7841 रकबा 0.0340 प्रार्थी संख्या 1 को व सबसे अंत में खसरा नम्बर 19/7842 पर गणपत पुत्र बृजलाल को दिया जावे। उक्त राजीनामें अनुसार प्रकरण में आदेश पारित करावे।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम व प0म0 देराठू तहसील नसीरावाद के हाल खसरा नम्बर की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम अलग–अलग खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर उभयपक्ष में आपसी सहमती से विभाजन किया था। विभाजन पत्र राजीनामें के साथ सलंग्न नक्शा में अंकित दिशा के अनुसार "प्लाट नम्बर 19 अ राकेश कुमार, 19 बी सपंतलाल, 19 सी ज्वाला प्रसाद, 19 डी राजेन्द्र कुमार व 19 ई ब्रजलाल को दिया गया" जिस अनुसार उभयपक्ष मौके पर काबिज है। हाल राजस्व मानचित्र में उभयपक्ष को मौके के विरित अलग–अलग जगह पर दर्शा दिया है जों जमावंदी व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है। पूर्व में उीयपक्ष ने राजीनामें से विभाजन पत्र निष्पादित किया था ऐसी स्थिति में हाल राजस्व मानचित्र व अभिलेख में सहमती पत्र अनुसार ही अंकन दर्ज किया जाना चाहिये था। किन्तु राजस्व मानचित्र में गलत तरमीम की गयी है जो दुरूस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। उक्तानुसार दुरूस्ती के बाद प्रत्यक पक्षकार को राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुयी भूमि ही दी जानी है जिस कारण दुरूस्ती से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने प्रकरण में राजीनाम भी पेश किया है। [illegible] खण्डन भी नही है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी अभिलेखों से प्रार्थ[illegible] कथनों की ताईद होती है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अंतर्गत [illegible] कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं [illegible] गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:30:26 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः ग्राम दराट्ट की वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] है। हाल राजस्व मानचित्र व जमाबंदी मे ग्राम दराट्ट के [illegible] खसरा नम्बर 19/[illegible] रकबा 0.0170 अप्रार्थी संख्या 1 (राकेश पुत्र बाबूलाल) के नाम तत्पश्चात खसरा नम्बर 19/[illegible] रकबा 0.0170 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 (रामेश्वरी पत्नी [illegible] व [illegible] पुत्र [illegible]) के नाम तत्पश्चात 19/7840 रकबा 0.0340 प्रार्थी संख्या 2 (ज्वाला प्रसाद पुत्र [illegible]) के नाम खसरा नम्बर 19/7841 रकबा 0.0340 प्रार्थी संख्या 1 (राजेन्द्र कुमार पुत्र [illegible]) के नामे व सबसे अंत में खसरा नम्बर 19/7842 अप्रार्थी संख्या 4 ([illegible] पुत्र [illegible]) के नाम अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व मानचित्र व जमाबंदी में दुरूस्ती करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:50:26 IST
Reason: SelfAttested